संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/संचा0/4/शैक्ष/2018/वनिस/ 24 भोपाल, दिनांक 19/01/2018

प्रति,

प्रो0 अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज,
नई दिल्ली –110070

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2018–19 में नवीन तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाऐं प्रारंभ न किये जाने के संबंध में ।

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि शिक्षा के गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है शैक्षणिक सत्र 2018–19 में राज्य में निजी क्षेत्र में नवीन तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाऐं (यथा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पीजीडीएम, एमबीए, आर्किटेक्चर, एमसीए आदि) प्रारंभ नहीं किया जाना है ।

कुछ संस्थाओं द्वारा हमारे कार्यालय (संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म.प्र., भोपाल) में नवीन तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाऐं एवं नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी दस्तावेज जमा कर उसकी पावती संलग्न कर आपके कार्यालय में (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली) जमा किया जा रहा है । इस संबंध में अवगत होना चाहें कि उक्त पावती को इस कार्यालय की अनापत्ति नहीं माना जाये । नवीन संस्थाओं के लिये हमारे द्वारा किसी भी तरह की अनापत्ति जारी नहीं की जा रही है तथापि विद्यमान संस्थाओं द्वारा नवीन पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता में परिवर्तन आदि के लिये इस कार्यालय द्वारा अपने लेटरहैड पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवश्यकतानुसार जारी किया जा सकेगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि नवीन संस्था प्रारंभ करने की अनुमति जारी न की जावे जब तक कि राज्य शासन/संचालनालय की स्पष्ट अनापत्ति न हो ।

प्रो.(डॉ.) वीरेन्द्र कुमार
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/04/शैक्ष/बी/2017/ भोपाल, दिनांक 19.10.2017

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भोपाल को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, मध्य प्रदेश।

प्रो.(डॉ.) वीरेन्द्र कुमार
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश